न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (जिला चूरू)

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 44/2020

अनुवान कालूराम बनाम राजस्थान राज्य

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट

एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 23.11.2020

कालूराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी सारसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

–वादीगण–

बनाम्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः

1. एडवोकेट श्री महेन्द्र कुमार सींवर वास्ते वादीगण।
2. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी।

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 224 रकबा 6.1800 हैक्टेयर, ख0 नं0 468 रकबा 7.7900 हेक्टेयर कुल रकबा 13.9700 हैक्टेयर रोही मौजा सारसर तहसील सरदारशहर में अवस्थित है। वादगत कृषि भूमि में वादी का 1/20 हिस्सा है। वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम भंवरलाल पुत्र रामेश्वरलाल अशुद्ध दर्ज है। जबकि वादी का शुद्ध नाम कालूराम पुत्र रामेश्वरलाल है।

वादगत कृषि भूमि में वादी का नाम कालूराम पुत्र रामेश्वरलाल के स्थान पर भंवरलाल पुत्र रामेश्वरलाल राजस्व कर्मचारियों की सहबन से रही त्रुटिवश अशुद्ध दर्ज कर दिया गया। जबकि रामेश्वरलाल के भंवरलाल के नाम [illegible] दोनो नाम एक ही व्यक्ति के दो भिन्न–भिन्न नाम हैं। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड [illegible] है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी अपना नाम शुद्ध करवाने की घोषणा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड शुद्ध [illegible] का अधिकारी है।

वादी का नाम उसके आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक, जनआधार कार्ड, पेनकार्ड, भामाशाह आदि दस्तावेजों में कालूराम पुत्र रामेश्वरलाल [illegible]कित है। जो कि सत्य [illegible] है। भंवरलाल पुत्र रामेश्वरलाल नाम वादी का वादगत अभिलेख के अतिरिक्त कहीं भी अंकित नहीं है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों में गलत दर्ज वादी का नाम शुद्धिकरण किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.19 16:56:19 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वास्तविक नाम कालूराम पुत्र रामेश्वरलाल है जबकि राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में भंवरलाल पुत्र रामेश्वरलाल अंकित होने से वादी को बैंक ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा अथवा अन्य कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग–अलग नाम होने से कई कानूनी पेचिदगियों का सामना वादी को करना पड़ता है। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि राजस्व रेकॉर्ड में भूलवश दर्ज नाम भंवरलाल पुत्र रामेश्वरलाल के स्थान पर सही नाम कालूराम पुत्र रामेश्वरलाल दर्ज करवाये जिसके लिए यह दावा वादी की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी ने कभी अपनी कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का पता नहीं किया। अब राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां हल्का पटवारी से प्राप्त की तो वादी को इस अशुद्ध राजस्व रिकॉर्ड का पता चला। इस कारण राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त करने से दावा अन्दर मियाद पेश है। राजस्व रिकॉर्ड की नकले हासिल करके वादी प्रतिवादी से मिला और इस गलत राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादी का नाम भंवरलाल पुत्र रामेश्वरलाल के स्थान पर सही नाम कालूराम पुत्र रामेश्वरलाल दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने कहा कि SDO साहब के यहां कार्यवाही करो। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा इन्कार करने से दावा प्रस्तुत करने का कारण व दावा प्रस्तुत का हैतुक वादी की खातेदारी कृषि भूमि होने से है। वादगत कृषि भूमि ग्राम सारसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू में स्थित होने से दावा हाजा के सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है।

वादी ने वाद पेश कर स्वयं की कृषि भूमि ख0 नं0 224 रकबा 6.1800 हैक्टेयर, ख0 नं0 468 रकबा 7.7900 हेक्टेयर कुल रकबा 13.9700 हैक्टेयर रोही मौजा सारसर के राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन कर वादी का नाम भंवरलाल पुत्र रामेश्वरलाल के स्थान पर कालूराम पुत्र रामेश्वरलाल दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

वाद पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। राज पैरोकार उपस्थित आये एवं जबाब दावा पेश किया जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम भंवरलाल पुत्र रामेश्वरलाल अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम कालूराम पुत्र रामेश्वरलाल घोषित किया जाता है तो राज्य पक्ष ने ऐतराज नहीं होना जाहिर किया है। वादी के सह खातेदार जीवणी, फूलाराम व मोहरसिंह ने भी शपथ–पत्र प्रस्तुत किया हैं कि यदि वादी का नाम भंवरलाल पुत्र रामेश्वरलाल के स्थान पर कालूराम पुत्र रामेश्वरलाल किया जाता हैं तो सहखातेदारों को कोई आपत्ति नहीं हैं।

वादी द्वारा साक्ष्यवादी में निम्नांकित प्रदर्श प्रस्तुत किये गयें–

1. जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 खसरा नम्बर 224, 468 की छायाप्रति।
2. खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी प्रतिलिपि (खसरा नम्बर 224)।
3. खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी प्रतिलिपि (खसरा नम्बर 468)।
4. वादी के राशन कार्ड की छायाप्रति।
5. वादी के पैन कार्ड की छायाप्रति।
6. बैंक पासबुक की छायाप्रति।
7. वादी के जन–आधार कार्ड की छायाप्रति।
8. वादी के आधार कार्ड की छायाप्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.19 16:36:19 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, [illegible]त्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उभ[illegible]क्षक[illegible] द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया एवं सह खातेदारों के शपथ पत्र पर विचार किया [illegible] जिससे यह सामने आया कि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम कालूराम [illegible] रामेश्वरलाल अंकित है।

अतः वर्णित विवेचन से वाद पुष्ट एवं प्रमा[illegible] पाया जाता हैं अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि ख0 नं0 224 रकबा 6.1800 हैक्टेयर, ख0 नं0 468 रकबा 7.7900 हेक्टेयर कुल रकबा 13.9700 हैक्टेयर रोही मौजा सारसर के राजस्व रेकॉर्ड में वादी

का नाम भंवरलाल पुत्र रामेश्वरलाल अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम कालूराम उर्फ भंवरलाल पुत्र रामेश्वरलाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं। पर्चा डीक्री जारी हो।

क. सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	सारसर	224, 468	भंवरलाल पुत्र रामेश्वरलाल	कालूराम उर्फ भंवरलाल पुत्र रामेश्वरलाल

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.19 16:56:19 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री ब मुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix ‘D’)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर. ए. एस.)

वादपत्र संख्या 44 / 2020

अनुवान कालूराम बनाम राजस्थान राज्य

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट

एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री महेन्द्र कुमार सींवर एडवोकेट एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि ख0 नं0 224 रकबा 6.1800 हैक्टेयर, ख0 नं0 468 रकबा 7.7900 हेक्टेयर कुल रकबा 13.9700 हैक्टेयर रोही मौजा सारसर के राजस्व रेकॉर्ड में वादी का नाम भंवरलाल पुत्र रामेश्वरलाल अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम कालूराम उर्फ भंवरलाल पुत्र रामेश्वरलाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं।

....
.....बीज.....................................मुबलि ....बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 11 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत...................

मुहर

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	05	00	मिजान	00	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.19 16:56:19 IST
Reason: SelfAttested